न्यायालय:– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी

पीठासीन अधिकारी :– रमेश कुमार करोल, आर. जे. एस.

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 17/ 2018 पुलिस थाना केकड़ी
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या – 567/2018
सी०आई०एस० संख्या – 74/2018

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
.....अभियोगी

बनाम

कैलाश पुत्र रामधन, निवासी खवास पुलिस थना केकड़ी, जिला अजमेर।
.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. व 134/187 एम.वी. एक्ट

उपस्थितिः–
1. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक: 10.03.2026

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रमेश द्वारा दिनांक 23.12.2017 को एक परिवाद न्यायालय में इस आशय की पेश किया गया कि उसका छोटा भाई परमेश्वर दिनांक 08.12.2017 को समय करीब 5–5:30 बजे शाम को ब्रह्माणी माता मंदिर बघेरा में दर्शन करके बघेरा से केकड़ी आने के लिए अपने साथी बालूराम के साथ ब्रह्माणी माता चौराहे पर खड़े थे, तभी केकड़ी की तरफ से आ रही मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एस.सी. 3488 के चालक ने मोटर साईकिल तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए रोंग साईड में जाकर उसके भाई के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके दोनों पैरों, कंधे व शरीर पर कई जगह गम्भीर चोटे आयी एवं फ्रेक्चर हो गये...इत्यादि। अंत में परिवाद को धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना केकड़ी में भेजे जाने का निवेदन किया गया।

02– न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद धारा 156(3) सीआरपीसी के आदेश के तहत जांच हेतु पुलिस थाना केकड़ी को प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. व धारा 134/187 एम.वी. एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा, आरोप पत्र पेश किये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रथमदृष्टया मामला बनना पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03– अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. व 134/187 एम.वी. एक्ट के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन–समझकर आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीड–1 बालूराम, पीड–2 परमेश्वर, पीड–3 रमेश, पीड–4 अशोक कुमार, पीड–5 भंवरलाल, पीड–6 श्रवणलाल, पीड–7 डॉ. हरिओम गुप्ता, पीड–8 लालचंद, पीड–9 संपतराज व पीड–10 राकेश कुमार को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–13 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

05– अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसके द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहान के कथनों को गलत बतलाकर स्वयं को निर्दोष व उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा बनाया जाना जाहिर किया गया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। बहस अंतिम सुनी गई।

06– दौराने बहस, अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर, उचित कारावास के दंड से दंडित किया जावे।

07– इसके विपरीत, अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस, कथन किए गए कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाए गए साक्षियों के कथनों में परस्पर गंभीर व तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्त को इस प्रकरण में मिथ्या आधारों पर संलिप्त किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

08– उभय पक्षों की बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न हैं:–

1. क्या दुर्घटना के समय दुर्घटना में संलिप्त वाहन मोटरसाईकिल रजिस्टर्ड सं. आरजे 48 एस.सी. 3488 का चालक अभियुक्त कैलाश था ?
2. क्या अभियुक्त द्वारा वाहन मोटरसाईकिल रजिस्टर्ड सं. आरजे 48 एस.सी. 3488 को ब्रह्माणी माता चौराहा पर तेज गति व लापरवाही से लोक मार्ग पर चलाकर वहां खड़े परिवादी के भाई परमेश्वर को टक्कर मारी, जिससे उसके साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई ?
3. क्या मोटरसाईकिल चालक द्वारा दुर्घटना के बाद मजरूब को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करवायी गयी और वह मोटरसाईकिल को लेकर भाग गया ?
4. यदि हां, तो उचित दंड क्या होगा ?

09– उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का मूल्यांकन करें तो स्थिति इस प्रकार परिलक्षित होती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण के परिवादी रमेश को गवाह पी.ड–3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिसम्बर 2017 की बात है। शाम को उसका छोटा भाई परमेश्वर व उसका साथी बालू ब्रम्हाणी माता मंदिर से दर्शन कर केकड़ी आ रहे थे। तब सामने से एक मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एससी 3488 तेजगति से आई एवं उसके भाई परमेश्वर के टक्कर मार दी, जिससे उसके दोनों पैरों में फ्रेक्चर हो गया एवं उसका साथी उसे एम्बुलेंस में सरकारी अस्पताल केकड़ी लेकर गया था। गवाह द्वारा परिवादी प्रदर्श पी 03, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 नक्शा मौका को प्रदर्शित करवाते हुए उन पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किए हैं।

10– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसे घटना के बारे में बालूराम ने बताया था। वह घटना के समय मौके पर नहीं था। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एससी 3488 के चालक की गलती से हुई थी।

11– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पीड–1 बालूराम को परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह वक्त घटना मौके पर था, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2017 में वह होटल पालीवाल में मैनेजर का काम करता था। आज से करीब दो साल पहले समय शाम के करीब पांच साढे पांच बजे वह ब्राह्माणी माता मंदिर बघेरा में दर्शन करके बघेरा से केकड़ी आने के लिए अपने दोस्त परमेश्वर के साथ ब्राहाणी माता चौराहे पर खड़ा हुआ था, तभी केकड़ी की तरफ से एक मोटरसाईकिल नंबर आरजे 48 एससी 3488 का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और गलत दिशा में आकर परमेश्वर के टक्कर मार दी, जिससे परमेश्वर के दोनों कंधों पर व शरीर पर चोटे आयी थी। मौके से उसने, भंवरलाल व अशोक ने परमेश्वर को केकडी अस्पताल पहुंचाया था, जहां से उसे देवली रैफर कर दिया था। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक की गलती से हुई थी। प्रदर्श पी 1 नक्शा मौका घटनास्थल है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

12– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल नंबर आरजे 48 एससी 3488 के चालक की गलती से हुई है। बरवक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है। वह हाजिर अदालत मुलजिम हो तो नहीं पहचान सकता है।

13– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–2 परमेश्वर को परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिसम्बर 2017 की बात है। शाम को उसका छोटा भाई परमेश्वर व उसका साथी बालू ब्रम्हाणी माता मंदिर से दर्शन कर केकड़ी आ रहे थे। तब सामने से एक मोटरसाईकिल आर जे 48 एससी 3488 तेजगति से आई एवं उसके भाई परमेश्वर के टक्कर मार दी, जिससे उसके दोनों पैरों में फ्रेक्चर हो

गया एवं उसके साथी ने उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक की गलती से हुई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

14– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एससी 3488 को कौन चला रहा था, वह नहीं पहचान सकता है। यह सही है कि वह एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गया था। उसे गाड़ी के नंबर उसके साथी बालूराम ने बताए थे।

15– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–4 अशोक कुमार को परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह परमेश्वर को नहीं जानता है। उसने ब्रह्माणी चोराहे पर एक्सीडेंट देखा था। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, वह उसका नाम नहीं जानता है, परंतु उसके चोटे आयी थी। उसने उस व्यक्ति को उठाकर साईड में बैठाकर एम्बूलेंस को सूचना दी व उसे अस्पताल रवाना किाय। पुलिस भी मौके पर आयी थी। टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल केकड़ी की तरफ से आ रही थी। उक्त मोटरसाईकिल के नंबर उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी–1 नक्शा मौका पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी व सी से डी भाग सही होना बताया है।

16– अभियेाजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–5 भंवरलाल को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब तीन वर्ष पहले शाम के 5–5.30 बजे की बात है। वह व अशोक उसके घर के बाहर बैठे थे तथा परमेश्वर व बालूराम ब्रह्माणी माता चौराहे पर खड़े थे, तभी केकड़ी की तरफ से एक मोटरसाईकिल सं. 3488 का चालक उसे तेज गति व लापरवाही से लाया और रोंग साईड में आकर साईड में खड़े परमेश्वर के टक्कर मार दी, जिससे उसके चोटे आयी। उन्होंने उसको उठाकर एंबूलेंस में बैठाकर अस्पताल भिजवाया था। उक्त घटना उसने देखी थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गयी।

17– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–6 श्रवणलाल को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.02.18 को वह पुलिस थाना केकड़ी पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु.नं. 17/18 के अनुसंधान अधिकारी एच.सी. सम्पतराज ने एक मोटसाईकिल आर.जे. 48 एससी 3488 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 उसके व गणेश के सामने जब्त की थी जो हंसराज बलाई ने पेश की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

18– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसके हस्ताक्षर थाने पर ही करवाए थे। यह कहना सही है कि जब्तशुदा मोटरसाईकिल कहां से लाए थे, उसे पता नहीं है। अजखुद कहा कि हंसराज ने थाने में पेश की थी जो मुकदमा संख्या

17/18 में जब्त की थी। जब्तशुदा मोटरसाईकिल के इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर उसे याद नहीं है।

19– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–7 डॉ. हरिओम को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 08.01.2018 को उसका राजकीय चिकित्सालय केकड़ी में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत होना व उस दिन पुलिस थाना केकड़ी के निवेदन पर मजरूब परमेश्वर पुत्र छीतर के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 तैयार कर चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटों के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उक्त समस्त चोटों के संबंध में उसने एक्स–रे की सलाह दी थी। प्रदर्श पी–5 लगायत 6 मजरूर की एक्स–रे प्लेट है, जिनके कवर पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो एक्सरे उसके द्वारा करवाये गये थे। प्रदर्श पी–5 व 6 के आधार पर उसने मजरूब की एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–7 तैयार की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त एक्स–रे प्लेट के आधार पर चोट सं–1 लगायत 3 गंभीर प्रकृति की होना पाई थी।

20– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके पास रेडियोलॉजी की डिग्री नहीं है। यह सही है कि उक्त सभी चोटे, चोट लगी जगह की तरफ से ठोस धरातल पर गिरने–पड़ने से आना संभव है।

21– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–8 लालचंद को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.12.2018 को वह थाना केकड़ी पर एचसी के पद पर होकर मालखाना इंचार्ज था। उस दिन मु.नं. 17/2010 के अनुसंधान अधिकारी सम्पतराम ने एक मोटरसाईकिल संख्या आर जे 48 एससी 3488 को मालखाने में जमा करवाने हेतु उसके समक्ष पेश किया, जिस पर उसने मालखाना रजिस्टर संख्या 51/18 पर दर्ज कर मालखाने में जमा की, जिसको उसने दिनांक 15.02.2018 को न्यायालय के आदेश से उसके मालिक हंसराज को सुपुर्द की। प्रदर्श पी 07 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

22– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि पत्रावली पर जो प्रति है, उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि मोटरसाईकिल कहां से जब्त की थी, उसे पता नहीं है।

23– अभियोजन पक्ष ने गवाह पी.ड–9 संपतराज को परीक्षित करवाया है। उक्त गवाह हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा किए गए अनुसंधान की पुष्टि करते हुए बाद अनुसंधान अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.स. व धारा 134/187 एम.वी. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली थानाधिकारी नेमीचंद को सुपुर्द करने के कथन किए हैं।

24– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक 18.12.2017 की

है। मोटरसाईकिल स्लिप होकर गिरी, इस बाबत् उसने कोई अनुसंधान नहीं किया।

25– अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड–10 राकेश कुमार को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 12.02.2018 को वह पुलिस थाना केकड़ी में कानि. चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना केकड़ी के मुकदमा संख्या 17/2018 में जब्तशुदा मोटरसाइकिल आरजे 48 एससी 3488 का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 तैयार की, जिस पर सी से डी उसकी रिपोर्ट व ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

26– प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि उसने एम.आई. करने का प्रशिक्षण ले रखा है।

27– प्रथम विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का मूल्यांकन के उपरांत स्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है कि हस्तगत प्रकरण परीक्षित गवाहान द्वारा दुर्घटना में संलिप्त वाहन सं. आरजे 48 एससी 3488 के चालक के नाम इत्यादि के संबंध में कोई कथन नहीं किए गए हैं। स्वयं परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में तो उसके भाई परमेश्वर के मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एससी 3488 के चालक द्वारा टक्कर मारने के कथन किए हैं, जिससे परमेश्वर के चोटे आयी, परंतु वहीं जिरह में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसे घटना के बारे में बालूराम ने बताया था। वह घटना के समय मौके पर नहीं था। अब यदि चक्षुदर्शी साक्षी गवाह पी.ड–1 बालूराम के कथनों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में आज से करीब दो साल पहले शाम के करीब पांच साढे पांच बजे ब्रह्माणी माता चौराहे पर उसका व उसके दोस्त परमेश्वर का खड़े होना व तभी एक मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एससी 3488 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से आकर परमेश्वर के टक्कर मारने के कथन किए हैं। उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। परंतु जिरह में गवाह ने कथन किया है कि बरवक्त घटना मोटरसाईकिल कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है। वह हाजिर अदालत मुलजिम को नहीं पहचान सकता। इसी प्रकार प्रकरण के मजरूब गवाह पी.ड–2 परमेश्वर ने भी अपने मुख्य परीक्षण में तो उपरोक्त गवाहान द्वारा किए गए कथनों की ताईद की है, परंतु जिरह में इस गवाह ने यह कथन किया है कि मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एससी 3488 को कौन चला रहा था, वह नहीं पहचानता है। यह सही है कि वह एक्सीडेंट होते ही वह बेहोश हो गया था। उसे गाड़ी के नंबर उसके साथी बालूराम ने बताए थे। इसी क्रम में गवाह पी.ड–4 अशोक कुमार ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने ब्रह्माणी चौराहे पर एक्सीडेंट देखा था। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम नहीं जानता है। उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह पी.ड–5 भंवरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब तीन साल पहले शाम के पांच बजे वह तथा अशोक उसके घर के बाहर बैठे थे तथा परमेश्वर व बालूराम ब्रह्माणी माता चौराहे पर खड़े थे, तभी केकडी की तरफ से एक मोटरसाईकिल सं. 3488 का चालक तेज गति व लापरवाही से आया और परमेश्वर को टक्कर मार दी, जिससे उसके

चोटे आयी। इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गयी। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में उक्तानुसार विरोधाभास आया है। स्वयं मजरूब ने ही यह कथन किया है कि वह दुर्घटना के बाद बेहोश हो गया था। वह मुलजिम को नहीं पहचान सकता तथा उसे गाड़ी के नंबर बालूराम ने बताया था। इसी प्रकार मजरूब परमेश्वर के साथ वक्त घटना मौके पर उपस्थित गवाह पी.ड–1 बालूराम भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने भी दौराने जिरह यह स्पष्ट कथन किया है कि बरवक्त घटना मोटरसाईकिल कोन चला रहा था, उसे पता नहीं है। परिवादी भी मौके पर उपस्थित नहीं था तथा परिवादी ने उसे घटना के बारे में बालूराम द्वारा बताने के कथन किए हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित उक्त महत्वपूर्ण गवाहान ने ही दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल के चालक के नाम इत्यादि के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार, अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान के कथनों में परस्पर तात्विक विरोधाभास है, जिससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

28– इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित घटनाक्रम संदेहास्पद प्रतीत होता है। आपराधिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी कृत्य के संबंध में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

29– उपरोक्त विवेचनानुसार, अभियोजन पक्ष प्रथम विचारणीय बिंदु, क्या दुर्घटना के समय दुर्घटना में संलिप्त वाहन मोटरसाईकिल रजिस्टर्ड सं. आरजे 48 एस.सी. 3488 का चालक अभियुक्त कैलाश था, अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

30– चूंकि, अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना में संलिप्त वाहन मोटरसाईकिल रजिस्टर्ड सं. आरजे 48 एस.सी. 3488 का चालक अभियुक्त कैलाश था। इस कारण द्वितीय विचारणीय बिंदु हेतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

31– अतः अभियुक्त कैलाश आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. व 134/187 एम.वी. एक्ट के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–01 केकड़ी, जिला–अजमेर

::आदेशः:

32– अतः अभियुक्त कैलाश पुत्र रामधन, निवासी खवास पुलिस थना केकड़ी, जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. व 134/187

एम.वी. एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत–मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त द्वारा अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत–मुचलके अंतर्गत धारा 481 भा.ना.सु.सं. आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में ही सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जिसके सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–01 केकड़ी, जिला–अजमेर

33– निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

{ रमेश कुमार करोल }
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–01 केकड़ी, जिला–अजमेर